



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2009/वैशाख 23, 1931

No. 275]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2009/VAISAKHA 23, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2009

सा.का.नि. 319(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उप-धारा (2) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि-4 (क) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"4 (ख) अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 14 के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट विस्तारित किस्म और कृषकों के लिए किस्मों से भिन्न जीनस और जाति की किसी किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	व्यक्ति शैक्षणिक वाणिज्यिक	—5000 रुपए —7000 रुपए —10000 रुपए
4 (ग) ऐसी किसी किस्म के बारे में जो सामान्य ज्ञान में है, अर्थात् अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) (iii) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विस्तारित किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	व्यक्ति शैक्षणिक वाणिज्यिक	—2000 रुपए —3000 रुपए —5000 रुपए"

[फा. सं. 1-3/2009-एस डी. V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 738(अ) तारीख 12 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2004 और सा.का.नि. 31(अ) तारीख 1 नवम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2009

**G.S.R. 319(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (2) of Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Second Schedule to the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, after entry 4 (a), the following entries shall be inserted:—

“4 (b)	Fees for registration of any variety of the genera and species other than extant varieties and farmers' varieties as specified in clause (a) of Section 14 read with sub-section (2) of Section 29 of the Act.	Individual — Rs. 5,000 Educational — Rs. 7,000 Commercial — Rs. 10,000
4 (c)	Fees for registration of a variety about which there is common knowledge i.e., the extant variety as specified under clause (j) (iii) of Section 2 of the Act.	Individual — Rs. 2,000 Educational — Rs. 3,000 Commercial — Rs. 5,000”

[F. No. 1-3/2009-SD. V]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 738(E), dated the 12 September 2003 and subsequently amended *vide* G.S.R. 843 (E), dated the 30th December, 2004 and G.S.R. 731 (E), dated the 14th October, 2008.